संख्या: 42/2020/1947/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 1926/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम किए जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से 09 अक्टूबर, 2020 तक सेटेलाइट से प्राप्त इमेजरी के अनुसार विभिन्न जनपदों में फसल अवशेष जलाये जाने की घटनायें प्रकाश में आ रही हैं। इन घटनाओं का परीक्षण कराने पर यह संज्ञान में आया है कि धान की फसल को कम्बाइन हार्वेस्टर से काटने अथवा हाथ या रीपर से काटने के उपरान्त भी जलाये जाने की घटनायें हुई हैं। हाथ या रीपर से कटाई के उपरान्त धान की मडाई के उपरान्त जो पुवाल निकलता है उसको इकट्ठा कर कई स्थलों पर जलाया गया है।

3. शासन के निर्देशों के उपरान्त भी कई स्थलों पर कटाई कम्बाइन हार्वेस्टर में सुपर एस0एम0एस0 लगाये बगैर या फसल अवशेष प्रबंधन के अन्य यंत्र का उपयोग किए बगैर कटाई की गयी है, जबकि यह स्पष्ट निर्देश थे कि इन यंत्रों के प्रयोग के बगैर कटाई न की जाय।

4. कुछ स्थलों पर फसल अवशेष के स्थान पर कूडा जलाने या खेतों की मेडों पर सरपट इत्यादि जलने की घटनायें हुई हैं। इन सभी प्रकार की जलने की घटनाओं पर रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में पुन: निम्नवत निर्देश दिये जाते हैं:-

1. शासन द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के परिपालन में यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर बिना सुपर एस0एम0एस0 अथवा फसल अवशेष प्रबंधन के अन्य यंत्रों को प्रयोग में लाये बगैर कटाई का कार्य किया गया है तो उक्त कम्बाइन हार्वेस्टर को तत्काल सीज किया जाय तथा कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने में सहायक होने के कारण विधिक कार्यवाही भी की जाय। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की जलने की घटनाओं को रोकने हेतु नगर निगम की सीमा में नगर निगम एवं ग्राम पंचायतों की सीमा में ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाय। किसी भी प्रकार की जलने की घटना प्रकाश में आने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दोषी के विरूद्ध पैनाल्टी लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाय। जलने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह घटनायें बढती ही रहेंगी और मा0 उच्चतम न्यायालय की अगली सुनवाई में राज्य सरकार को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड सकता है।

2. प्रत्येक ग्राम सभा के लिए ग्राम प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग एवं अन्य सम्बद्ध विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए फसल अवशेष या अन्य जलने की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिये जायें तथा घटना प्रकाश में आने पर लेखपाल, ग्राम प्रधान एवं अन्य विभाग के विभिन्न कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
3. अधोहस्ताक्षरी के स्पष्ट निर्देश हैं कि निराश्रित गौशालाओं में पराली पहुँचाने की व्यवस्था की जाय, पराली इकट्ठा करने का काम मनरेगा अथवा वित्त आयोग से फण्ड की व्यवस्था कर, की जाय तथा खेत से गौ-आश्रय स्थल तक पराली पहुँचाने की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा की जाएगी। परन्तु गौ-आश्रय तक पराली पहुँचाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह स्थिति खेदजनक है। अस्तु गौ-आश्रय स्थलों तक पराली पहुँचाने की व्यवस्था तत्काल करते हुए इसकी प्रगति की सूचना कृषि विभाग को दी जाय।

आपको उपरोक्त स्थिति से अवगत कराते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर फसल अवशेष जलने से हो रहे पर्यावरण को नुकसान तथा शासन के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कृषकों के बीच कराया जाय तथा फसल अवशेष जलने की घटनाओं पर रोक लगवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य सम्बद्ध विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाए। मुझे आशा है कि आपके प्रयासों से फसल अवशेष जलने की घटनाओं पर रोक लग सकेगी और मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का परिपालन किया जा सकेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: 42/2020/1947(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुधन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 तक अवशेष जलाने की प्रकाश में आयी घटनाओं की जनपदवार सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	प्रकाश में आयी घटना
1	अलीगढ	14
2	अमरोहा	01
3	औरेया	01
4	बहराइच	02
5	बलिया	01
6	बाराबंकी	04
7	बरेली	05
8	बस्ती	03
9	बिजनौर	02
10	बुलन्दशहर	03
11	एटा	03
12	इटावा	01
13	फतेहपुर	07
14	फिरोजाबाद	01
15	गौतमबुद्धनगर	01
16	गाजीपुर	02
17	गोरखपुर	01
18	हमीरपुर	01
19	हापुड	01
20	हरदोई	01
21	जालौन	01
22	जौनपुर	01
23	झांसी	05
24	कन्नौज	01
25	कानपुर देहात	01
26	कौशाम्बी	03
27	लखीमपुर खीरी	09
28	ललितपुर	01

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29	लखनऊ	02
30	महराजगंज	01
31	मैनपुरी	01
32	मथुरा	03
33	मेरठ	05
34	मिर्जापुर	04
35	मुरादाबाद	01
36	मुजफ्फर नगर	02
37	पीलीभीत	03
38	रामपुर	05
39	सम्भल	03
40	संतकबीरनगर	02
41	शाहजहॉपुर	06
42	शामली	08
43	सहारनपुर	09
44	सीतापुर	04
	योग:	136

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।